न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 253/2023

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

जगदीप सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

....वादी

बनाम

1. झरमल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. मलकीत सिंह पुत्र श्री झरमल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. रविन्द्र कौर पत्नी श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. कर्मजीत कौर पुत्री श्री झरमल सिंह पत्नी श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. परविन्द्र कौर पुत्री श्री झरमल सिंह पत्नी श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी ढावा झलार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
6. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री झरमल सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (वादी)
(प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 स्वयं उपस्थित)
पैरोकार राज (प्रति.–7)

दिनांक 31.01.2024

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 9 जैड के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 5.1754 हैक्टेयर नहरी [illegible] है नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी सं[illegible]तृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने [illegible] विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित [illegible] जायदाद की परिभाषा में आती है। हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने [illegible]जों की पैतृक सम्पत्ति में ज[illegible] लेते ही हक पैदा हो जाता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का भी हक वा हिस्सा बनता है । प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ता 6 ने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग किया हुआ है तथा वह उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करके चक 9 जैड के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 5.1754 हैक्टेयर नहरी रकबा, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, वादी को 4.1634 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1.012 हैक्टेयर भूमि दी हुई है, जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 पिछले काफी समय से काविज चले आ रहें है तथा मौका पर हमारी की फसले खड़ी हैं । यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से उक्त भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इसी विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में बड़ी मेहनत करके व काफी धन खर्च करके रकवा को उपजाउ बनाया है। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रति० संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा मगर दिनांक 20.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को घरू बंटवारानामा अनुसार भूमि नाम करवाने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 के उपस्थित न आने के कारण उसे औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :-

(1) यह कि चक 9 जैड के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 5.1754 हैक्टेयर नहरी रकबा, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, वादी को 4.1634 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज करवाई जाकर लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से इकबालिया जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ता 6 ने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग किया हुआ तथा वह उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करके चक 9 जैड के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 5.1754 हैक्टेयर नहरी रकबा, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, वादी को 4.1634 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1.012 हैक्टेयर भूमि दी हुई है। अतः जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर नि[illegible] वादी स्वीकार किया जाकर चक 9 जैड के खा[illegible] 36/2[illegible] मुर[illegible]म्बर 22 की कुल 5.1754 हैक्टेयर नहरी रकबा, जो प्रतिवादी [illegible] में से वादी जगदीप सिंह को 4.1634 हैक्टेयर भूमि का तथा प्रतिवादी [illegible] 3 श्रीमती रविन्द्र कौर को 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जा[illegible]था उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज करवाई जाकर लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 9 जैड़, पटवार हल्का 9 जैड़ भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर खाता संख्या 36/25 की प्रति, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र बाबत हक त्याग पेश किया गया। वाद में पक्षकारान मध्य आपसी सहमति हो चुकी है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः वादी वादी मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर चक 9 जैड के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 5.1754 हैक्टेयर नहरी रकबा, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, में से वादी जगदीप सिंह को 4.1634 हैक्टेयर भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती रविन्द्र कौर को 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31.01.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner